an>

Title: Need to clearly put in practice the doctrine of Separation of Powers in accordance with the spirit of the Constitution.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) ः न्यायिक सुधारों की प्रक्रिया में वर्तमान सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए नेशनल ज्यूडिशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन से संबंधित कानून बनाया था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के यहां अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति पारदर्शी सिस्टम के तहत होनी चाहिए। संसार के किसी भी देश में जज ही जज को नियुक्त करते हैं, यह परंपरा नहीं है। संविधान निर्माताओं ने जिस भावना के साथ जजों की नियुक्ति के लिए जो प्रावधान संविधान में दिया था, उसको तोड़ने-मरोड़ने से संविधान की मूल भावना पर विपरीत असर पड़ सकता है। अतः मेरी भारत के कानून मंत्री से मांग है कि संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के लिए शक्तियों का पृथक्कीकरण किया हुआ है। वर्तमान समय में न्यायिक सक्रियता के चलते यह देखने में आया है कि पीआईएल के माध्यम से अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायालय में ही पेशी पर जाते देखा गया है। जब किसी भी राज्य के वरिष्ठ अधिकारी सप्ताह में दो या तीन दिन न्यायालयों की पेशी ही भुगतते रहेंगे तो जनता का काम कब करेंगे, यह चिंता का विषय है और इस ट्रेन्ड को संविधान की भावना के अनुरूप करने के लिए संसद में चर्चा कराई जाये।